संख्या–2911ए/9–7–98–49ज/99

प्रेषक, **जे0एस0 मिश्र,**
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **मुख्य नगर अधिकारी**
लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 1998

विषय : शहर में कैटिल कालोनी का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आवास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या : 2373/9–आ–1–1998 दिनांक 24.06.98 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहर में मवेशियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा शहर की घनी आबादी से मवेशियों को शहर की बाहरी परिधि में कैटिल कालोनी बनाकर स्थानन्तरित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में कैटिल कालोनी हेतु स्थल चयन एवं उसके विकास हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है। चूँकि मवेशियों को शहर के मध्य से हटाना नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में निहित है। अतएव इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं विकास प्राधिकरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से निकट समन्वय रखते हुए, उनकों अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अनुसार नगर के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, विशेष रूप से अध्याय–10,11,12,15, व 16 में उल्लिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथाक्त।

भवदीय,

जे0एस0 मिश्र
सचिव

संख्या–2911ए(1)/9–7–98,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, आवास विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ/आगरा/कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी/मेरठ/अलीगढ़/बरेली/गाजियाबाद/गारखपुर एवं मुरादाबाद।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

चन्द्र प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव